न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 08/2025

श्री गोपाल बिहारी गौत्तम निवासी डी–182 इन्द्रा कॉलोनी निवाई तहसील निवाई व जिला टोंक राज0 ––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक :–19.03.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.12.2024 को उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर (परिवाद क्रमांक 4337 दिनांक 22.10.2024, 267 दिनांक 01.11.2024 एवं 9056 दिनांक 09.12.2024) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांक 19123 दिनांक 18.11.2023 एवं कलेक्टर जिला टोंक के आदेश क्रमांक 169 दिनांक 08.05.2024 की अनुपालना बाबत। उक्त परिवादों के निस्तारण में बीडीओ निवाई द्वारा विसंगत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसका प्रार्थी के परिवाद से कोई लेनादेना ही नहीं है। प्रार्थी ने तीनों परिवादों में पट्टा निरस्त के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया। फिर यह बार–बार पट्टा निरस्त पट्टा निरस्त बीच में कहां से टपक रहा है। प्रार्थी ने परिवाद क्रमांक 267 दिनांक 01.11.2024 के विषय में स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थी की परिवेदना का विषय पट्टा निरस्त करवाने का नहीं है। उसके उपरान्त भी निस्तारण की रिपोर्ट में लिखा गया है कि याचिका एडीएम के यहां दायर कर दी गई है। अतः यह कितना हास्यास्पद निस्तारण है। निस्तारण जो किया जाना था कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक के आदेश क्रमांक 169 दिनांक 08.05.2024 प्रार्थना–पत्र में जांच करवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से सीधे ही प्रार्थी को अवगत करवाते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाने की सुनिश्चितता करें। जिम्मेदारी से बचने के लिए विसंगत रिपोर्ट प्रस्तुत कर तोड़ निकालने का प्रयास किया गया है, परन्तु विधि संगत नहीं है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को पत्र क्रमांक 123 दिनांक 30.01.2025, 214 दिनांक 13.02.2025 व 316 दिनांक 27.02.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट

जिला कलेक्टर
टोंक

है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक